# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)
अपील संख्याः—114/2017/225 आर.टी.एक्ट (2017/00114)

1. कन्हैयालाल
2. मुकेश
3. रामकिशोर

( पुत्रान घासीलाल जाति तेली निवासी सावरदा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर )

4. भैरूलाल पुत्र कल्याण जाति तेली निवासी सावरदा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती रतनी पत्नी हनुमान उम्र 70 वर्ष
2. भंवरी पुत्री हनुमान उम्र 44 वर्ष
3. सायर पुत्री हनुमान उम्र 42 वर्ष
4. धापू पुत्री हनुमान उम्र 40 वर्ष
5. मनभर पुत्री हनुमान उम्र 38 वर्ष
6. छीतर पुत्र हनुमान **(मृतक)**
   - 6/1 शिवनारायण पुत्र छीतर
   - 6/2 राजू पुत्र छीतर
   - 6/3 श्रवण पुत्र छीतर
7. मंगला पुत्र गणेश
8. श्रीमती बच्छी पुत्री गणेश **(मृतक)**
   - 8/1 रामरतन
   - 8/2 सीताराम
   - 8/3 ओमप्रकाश
   - 8/4 गीता देवी पुत्री चंदा जाति तेली निवासी झाग पत्नी श्री महेन्द्र निवासी—श्रीनगर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर

( समस्त जातियान तेली निवासीगण सावरदा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0)

9. कल्याण पुत्र कल्ला उर्फ कल्याण जाति कुम्हार निवासी सावरदा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
10. गजानन्द पुत्र कल्ला उर्फ कल्याण जाति कुम्हार निवासी सावरदा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
11. नानगराम
12. गोपाल लाल
13. श्रवणलाल

( पुत्रान बींजा जातियान तेली निवासीगण सावरदा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर )

14. रामधन पुत्र श्रीकिशन जाति जाट निवासी सावरदा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
15. प्रभूनारायण पुत्र धन्ना जाति खटीक निवासी सावरदा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
16. कानाराम
17. ग्यारसीलाल
18. बजरंग

( पुत्रान गोपाल जातियान खटीक निवासीगण सावरदा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0। )

19. श्रीमती बरजी पत्नी गोपाल जाति माली निवासी सावरदा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
20. मुख्य प्रबंधक रिलायन्स कम्यूनिकेशन प्रा0लि0 पंजीकृत मुख्य कार्यालय अवधेश हाऊस 2 फ्लोर, प्रीतम नगर फस्ट स्लोपी, रिलसफ्रिज अहमदाबाद, गुजरात।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

21. प्रबंधक श्री सुभाष व श्री टी. एन श्रीनिवासन रिलायन्स कम्यूनिकेशन प्रा0लि0 प्रादेशिक कार्यालय 301–304 लक्ष्मी कॉम्पलेक्स, एमआई रोड़ जयपुर।
22. श्रीमती विजय लक्ष्मी पत्नी देवरतन कोठारी जाति महाजन निवासी मकान नम्बर 1484 बारह गणगौर का रास्ता जौहरी बाजार जयपुर राज0।
23. प्रबंधक, जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा, दूदू जयपुर।
24. तहसीलदार तहसील कार्यालय मौजमाबाद जिला जयपुर।
25. उप–पंजीयक कार्यालय मौजमाबाद जयपुर।
26. मधु
27. सुनीता
28. हेमलता पुत्रियॉ घासी लाल जाति तेली निवासी सावरदा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
29. श्रीमती रामपाली पत्नी घासीलाल जाति तेली निवासी सावरदा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

**रेस्पोडेन्टस**

**अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 11.06.2016 न्यायालय सहायक जिलाधीश ,(फास्ट ट्रेक) दूदू ।**

**उपस्थितः–**

1. श्री दीपक पारीक, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 24,25
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 19, 22, 23, 26 से 29 अनुपस्थित।

## निर्णय

**दिनांकः–.23.9.2022**

1. यह अपील सहायक जिलाधीश फास्ट ट्रेक दूदू द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक 11.06.2016 को इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीया/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 8 ने एक वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 188 वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया व साथ में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया और निवेदन किया कि विवादग्रस्त आराजी हाल जमाबंदी सम्वत् 2066–2069 के आराजी खतौनी संख्या 133 के आराजी खसरा नम्बर 3647 रकबा 0.0300 हैक्टर, खसरा नम्बर 3648 रकबा 1.7800 हैक्टर खसरा नम्बर 3649 रकबा 0.0400 हैक्टर खसरा नम्बर 3666 रकबा 0.2100 हैक्टर, खसरा नम्बर 3667 रकबा 0.7400 हैक्टर, खसरा नम्बर 3674 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा नम्बर 3675 रकबा 0.5700 हैक्टर खसरा नम्बर 3678 रकबा 0.3500 हैक्टर खतौनी संख्या 33 के आराजी खसरा नम्बर 667 रकबा 0.4100 हैक्टर खसरा नम्बर 669 रकबा 0.2500 हैक्टर, खतौनी संख्या 53 के आराजी खसरा नम्बर 715 रकबा 0.8500 हैक्टर खतौनी संख्या 249 के आराजी खसरा नम्बर 1331 रकबा 1.3800 हैक्टर, खतौनी संख्या 513 के आराजी खसरा नम्बर 1474 रकबा 1.2100 हैक्टर,खतौनी संख्या 275 के आराजी खसरा नम्बर 1769 रकबा 0.5600 है., खतौनी संख्या 566 के आराजी खसरा नम्बर 3616 रकबा 0.1900 हैक्टर खतौनी संख्या 50 के आराजी खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

नम्बर 1363 रकबा 0.8000 हैक्टर, खतौनी संख्या 137 के आराजी खसरा नम्बर 2839 रकबा 0.0500 हैक्टर, खतौनी संख्या 565 के आराजी खसरा नम्बर 3617 रकबा 3.2100 हैक्टर, खतौनी संख्या 134 के आराजी खसरा नम्बर 3641 रकबा 0.1800 हैक्टर, खसरा नम्बर 3642 रकबा 0.1000 हैक्टर, खतौनी संख्या 135 के आराजी खसरा नम्बर 3679 रकबा 3.2800 हैक्टर, खसरा नम्बर 3681 रकबा 0.4500 हैक्टर वाके ग्राम सावरदा तहसील मौजमावाद जिला जयपुर में स्थित है, उक्त आराजीयात में खतौनी संख्या 133 के हाल खसरा नम्बर 3647, 3648, 3649, 3666, 3667, 3674, 3675, 3678, खतौनी संख्या 33 के आराजी खसरा नम्बर 667 व 669 खतौनी संख्या 53 के आराजी खसरा नम्बर 715 खतौनी संख्या 249 के आराजी खसरा नम्बर 1331 खतौनी संख्या 513 के आराजी खसरा नम्बर 1474 खतौनी संख्या 275 के आराजी खसरा नम्बर 1769 खतौनी संख्या 566 के आराजी खसरा नम्बर 3616 खतौनी संख्या 50 के आराजी खसरा नम्बर 1363 में रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 6, 1/6 हिस्से के, रेस्पोडेंट संख्या 7, 1/6 हिस्से के एवं रेस्पोडेंट संख्या 8, 1/6 हिस्से के अनुसार खतौनी संख्या 137 के आराजी खसरा नम्बर 2839 में अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 26 लगायत 29 के पिता घासीलाल व अपीलांटस संख्या 4 भैरूलाल के दर्ज 1/2 हिस्से में से रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 6, 1/12 हिस्से के रेस्पोडेंटस संख्या 7, 1/12 हिस्से के अपीलांटस संख्या 4, 1/2 हिस्से के खतौनी संख्या 565 के आराजी खसरा नम्बर 3617 में अपीलांटस संख्या 20 लगायत 21 व 22 के दर्ज हिस्से में से अपीलांटस संख्या 1 लगायत 6 का 1/12 हिस्सा, रेस्पोडेंट संख्या 7 का 1/12 हिस्सा व रेस्पोडेंट संख्या 8 का 1/12 हिस्सा के व खाता नम्बर 565 के आराजी खसरा नम्बर 3617 में रेस्पोडेंट संख्या 20 लगायत 22 के दर्ज हिस्से में रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 6 का 1/12 हिस्सा, अनुसार खतौनी संख्या 134 के आराजी खसरा नम्बर 3641 , 3642 एवं खतौनी संख्या 135 के आराजी खसरा नम्बर 3679 एवं 3681 में अपीलांट संख्या 1 लगायत 3 व रेस्पोडेंट संख्या 26 लगायत 29 के पिता व पति घासीलाल व अपीलांटस संख्या 4 के दर्ज 1/3 हिस्से में से रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 6, 1/18 हिस्सा, रेस्पोडेंटस संख्या 7 का 1/18 हिस्सा रेस्पोडेंटस संख्या 8 का 1/18 हिस्सा के अनुसार रेस्पोडेंट काबिज काश्त एवं खातेदार काश्तकार हैं। उक्त आराजीयात के साबिक खसरा नम्बर निम्नानुसार है–: 3424, 3425, 3426, 3443, 3444, 3451, 3452, 3455 ,601 ,603, 647, 1211, 1343, 1637, 3378, 1240, 2648, 3396, 3420, 3456 वाके ग्राम सावरदा तहसील मौजमावाद जिला जयपुर में स्थित है। अन्त में निवेदन किया कि अपीलांटस व शेष रेस्पोडेन्टस को पाबदं फरमाया जावें कि वे मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,दूदू ने दिनांक 17.01.2012 को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कि उसके पश्चात आक्षेपित आदेश दिनांक 11.06.2016 पारित कर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 08 का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया । अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के आदेश दिनांक 11.06.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 19, 22, 23, 26 से 29 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने दौराने बहस में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में कथन किया कि अधीन्स्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध व प्रार्थीगण को बिना सुनवाई का अवसर पारित किया गया है इसलिए प्रार्थीगण को इस आदेश की पूर्व में कभी जानकारी नहीं रही प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा सर्वप्रथम दिनांक 17.04.2017 को प्रार्थीगण को ज्ञात हुआ कि कैम्प कोर्ट में कई गलत फैसले हुए है तो प्राथीगण ने नकल प्राप्त करना जाहिर किया जिस पर दिनांक 17.04.2017 को नकल आवेदन किया दिनांक 18.04.2017 को नकल प्राप्त कि तो पाया की यह आदेश तो प्रार्थीगण के विपरीत पारित कर दिया जिससे अधिवक्ता ने आदेश की अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने की नेक सलाह दी जिससे अपील जानकारी से अंदर मियाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अतः मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा फरमाया जाकर अपील को अंदर अवधि शुमार गुणावगुण पर निर्णिय पारित किए जाने की आज्ञा प्रदान करें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 17.11.2012 को प्रार्थना–पत्र को दर्ज किया और शेष रेस्पोडेंट के नोटिस जारी किए उसके पश्चात रेस्पोडेंट संख्या 20, 21, व 22 उपस्थित नहीं हुए न ही उनकी एक्सपार्टी कर दी गई उसके पश्चात् दिनांक 07.05.2012 को अपीलांटस के अधिवक्ता ने अण्डर टेकिंग दी व जवाब हेतु समय चाहा उसके पश्चात् दिनांक 22.04.2013 को रेस्पोडेंट संख्या 9 लगायत 22 की पार्टी कर दी गई दिनांक 07.12.2012 को रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 8 ने आदेश 22 नियम 4 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जबकि प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 पेश किया था उक्त प्रार्थना पत्र को बिना स्वीकार किए ही विधि विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित किया जो पारित नहीं किया जा सकता है व रेस्पोडेंटस संख्या 8 के वारिसान को नलिटी भी रिकार्ड पर नहीं लिया है। न्याय का सिद्धांत है कि किसी भी प्रार्थना पत्र के पेंडिंग रहते आदेश पारित नहीं किया जा सकता जब आदेश 22 नियम 3 का प्रार्थना पत्र पेन्डिंग था तो उसके वारिसान को रिकार्ड पर लेकर ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय पारित करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने एक नॉनस्पिकिंग आदेश से अपीलांट को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमा दिया। मूल वाद के निस्तारण तक जो कि गलत फाईन्डिंग अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई है, जो अंतर्गत अपील निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं फरमाया कि अपीलांट आराजीयात के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है जिनके विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं कि जा सकती है एवं इस प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 9 लगायत 29 के पक्ष में जारी कर दी जो कि पूर्णतया गलत व विधि विरूद्ध है, जो कि निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय सहायक जिलाधीश (फास्ट ट्रेक) दूदू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.06.2016 को निरस्त फरमाया जाने का आदेश प्रदान करावें।

6. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बताया कि अपील में केवल फोर्मल पक्षकार है।

7. सर्वप्रथम हम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित कारणों पर विचार करने के उपरान्त न्यायहित में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती हैं।

8. गुणावगुण पर पत्रावलियों का अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत दस्तावेजा व जवाब प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली बहस हेतु नियत नहीं होकर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जा.दी. (प्रार्थी संख्या 6 व 08) में नियत थी। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्रों पर आदेश पारित किये बिना ही पत्रावली कैम्प कोर्ट में नियत कर पत्रावली बहस हेतु पूर्ण होने का अंकन करते हुए नोन स्पीकिंग आदेश पारित किये है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि उनके समक्ष विचाराधीन प्रार्थना–पत्रो का निस्तारण करने के पश्चात उभयपक्ष की बहस सुन कर प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु को ध्यान में रखते हुए विस्तृत निर्णय पारित करना चाहिए था। जो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा नहीं किया गया हैं। रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है, जैसा कि मान्नीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर ने 2015 डी. एन.जे. (रेवेन्यू)पेज नम्बर 67 बउनवान नाथूलाल बनाम तुलसीराम वगैरह, 2015 डी.एन.जे.(रेवेन्यू)पेज नम्बर 59 बउनवान अवतार खॉ बनाम महरबानो वगैरह में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। उपरोक्त कारणों से अपील अपीलांटस स्वीकार योग्य होने से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 11.06.2016 निरस्त किये जाने योग्य पाया जाता है।

9. अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.06.2016 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 23.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर